संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल–2/11/ भोपाल दिनांक

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शायें गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

| क्र. | नाम कर्मचारी | पद | वर्तमान पदस्थापना का स्थान | स्थानांतरित स्थान का नाम | स्थानान्तरण का स्वरूप |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्रीमति रश्मि मेहरा | स्टॉफ नर्स | समु0स्वा0केन्द्र,बटियागढ, जिला–दमोह | जिला चिकित्सालय, जबलपुर | स्वयं के व्यय पर |

1. उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे । इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।
2. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे तत्काल संचालनालय को अवगत करावे, आदेश निरस्त किया जावेगा ।
3. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./ संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
4. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है ) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
5. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है ।
6. जारी आदेश की पुष्टि विभागीय वेवसाइड www.health.mp.gov.in से करने के उपरांत ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाये।

संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर ...2



पृक्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/11/ 1043 भोपाल दिनांक 25/6/201

प्रतिलिपीः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ सागर/जबलपुर, मध्य प्रदेश। कृपया विभागीय वेवसाइड पर लोड करे ।
5. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय,दमोह/जबलपुर ।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
8. आदेश नस्ती ।

25/6

25/6/12

संचालक
चिकित्सा सेवाये
मध्यप्रदेश